छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हास्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / 2021 / **रायपुर, दिनांक / / 2021**

प्रति,

समस्त शासकीय / निजी
जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र (छ.ग.)

विषयः– **छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित 34वीं काउन्सिल पूरक परीक्षा, पाठ्यक्रम जी.एन.एम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, पुर्नमूल्यांकन (Re-Evaluation) / पुर्नगणना (Re-totaling) की सूचना बाबत्।**

–::000::–

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल द्वारा आयोजित **(34वीं काउन्सिल पूरक परीक्षा)** के पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन आंमत्रित किए जाते है। आवेदन फार्म भरने कि अंतिम तिथि **15 / 03 / 2021** है।

पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना आवेदन – पत्र संबंधी प्रकिया के निर्देश निम्न है :–

1. समस्त प्राचार्या / परीक्षार्थी, काउन्सिल द्वारा पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशो का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना हेतु आवेदन करे।
2. छात्र अपना आवेदन पत्र सोच समझकर सही सही भरे। आवेदन पत्र के किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. **आवेदन केवल प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्या द्वारा सत्यापित कर एवं संस्था के माध्यम से ही छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर प्रेषित करें।**
4. जी.एन.एम. परीक्षाओं के परिणाम पश्चात् नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित छात्र निम्नानुसार पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना करवाने के पात्र होगें।

(अ) जी.एन.एम. द्वितीय वर्ष के नियमित छात्र जो दो विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयो के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)

(ब) जी.एन.एम. तृतीय वर्ष के नियमित छात्र जो एक विषय में उत्तीर्ण हो व शेष विषयों के सैद्धांतिक प्राप्तांक में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त किये हो (27 अंक)

उक्त पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना प्रायोगिक (Practical) व आंतरिक (Internal) प्रांप्तांक पर लागू नहीं होगा।

5. पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित नियमों के आधार पर पात्रतानुसार स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

(अ) पूरक / ए.टी.के.टी की श्रेणी से सम्मिलित द्वितीय पूरक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन / पुर्नगणना हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जावेगे।

P.T.O....

Cont….

6. आवेदक को पुर्नमूल्यांकन या पुर्नगणना में से किसी एक ही आवेदन की पात्रता होगी।
7. पुर्नमूल्यांकन आवेदन हेतु टी.आर.शीट/ऑनलाईन पेमेन्ट की प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।
8. पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना शुल्क **500 रू.** प्रति विषय व फार्म शुल्क **50/–** एवं भुगतान केवल Online Payment Mode द्वारा ही मान्य होगा।
9. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जाएगा।
10 परीक्षार्थीयों को पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना परिणाम की सूचना/जानकारी संबधित संस्था के माध्यम से **Website - www.cgnrc.org** के माध्यम से प्राप्त होगी।
11 परीक्षार्थियों को पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर संबधित परीक्षा (यदि उनके परिणाम घोषित नहीं हुए हो तो) काउन्सिल को अवगत कराना आवश्यक है, ताकि इस संबंध कार्यवाही किया जा सके।
12 पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम या अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति मे कम या अधिक प्राप्त अंको को बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेगें।
13 पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना के लिए छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किये जाने पर मान्य नहीं किया जायेगा।

नोटः– पुर्नमूल्यांकन/पुर्नगणना केवल नियमित परीक्षार्थिया के लिये ही लागू होगा।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.

क्रमांक/रजि0 नर्सिंग कां0/2021/1439 **रायपुर, दिनांक** 5/3 **/2021**

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आवक–जावक शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वेबसाईट प्रति।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छ.ग.